संख्या : 429/खाद्य-4-98-33-98

प्रेषक,

श्री कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम एवं लघु अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 1998

विषय:- अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2015/पचीस-2-94-1485/91 दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यकों-मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये संलग्न प्रपत्र में, अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिये, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष, जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो, को अधिकृत करते हैं । यह प्रमाणपत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है ।

निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमन्य लाभों / आरक्षण से सम्बन्धित अभ्यर्थी को लाभान्वित किया जाए ।

शासन के उपरोक्त निर्णयों से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को, कृपया अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि सम्बन्धित अल्पसंख्यकों को इस सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो ।

संलग्नक-उपर्युक्त

भवदीय,

31/10/98

(श्री कृष्ण)
सचिव ।

कृष्णपाल-

8/अपव-5-98 तद्दिनांक

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ ।
2. पूर्वान्य निदेशक, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ ।
3. पूर्वान्य निदेशक, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम, लखनऊ ।
4. सभी कमिश्नर वक्फ उ0प्र0, लखनऊ ।
5. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग उ0प्र0, लखनऊ ।
6. निबंधक शिया / सुन्नी वक्फ बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/2/3

आज्ञा से,

(अरविन्द विक्रम सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/
स्त्री..... निवासी.....ग्राम.....
तहसील/नगर.....जनपद.....उत्तर प्रदेश राज्य
के निवासी हैं तथा राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2015
चालीस-2-94-14(5)/91, दिनांक 07 अक्टूबर, 1994 के अनुसार अल्पसंख्यक
समुदाय के हैं ।

श्री/श्रीमती.....सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करते
हैं ।

स्थान :
दिनांक:
मुहर :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....
पदनाम.....

§शासनादेश सं0-429/चालीस-4-98-33/98 दिनांक
31 अक्टूबर, 1998 में इंगित सक्षम अधिकारियों
में से एक §